

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल खड़गपुर-तारापुर

पत्रांक :- 2247(अनु०) / तारापुर
प्रेषक,

दिनांक:- 28 / 11 / 2024

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, खड़गपुर-तारापुर।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण (ब्राडा), पटना।

विषय :- **State Scheme (NABARD) अंतर्गत MMGSY Pahadpur path to Bhaissakol path nirman kary** पथ के अनुरक्षण कार्य के भुगतान हेतु अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि **State Scheme (NABARD) अंतर्गत MMGSY Pahadpur path to Bhaissakol path nirman kary** पथ के अनुरक्षण कार्य के भुगतान हेतु अधियाचना विहित प्रपत्र में संलग्न विवरणी के अनुसार रू०- **3.20762** लाख की आवश्यकता है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि पथों अनुरक्षण कार्य के भुगतान हेतु अधियाचना उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन


28/11/24
कार्यपालक अभियन्ता,

28/11/24

राज्य योजना (नाबार्ड) अंतर्गत पथों में पंचवर्षीय अनुसंधान प्रपत्र

क्र.सं.	कार्य प्रमदल का नाम	योजना का नाम	एकराशनाम के अनुसार प्राकृतिक राशि वर्षवार					कुल राशि (लाख में)	व्यय की राशि वर्षवार					कुल राशि (लाख में)	पथ की स्वीकृति के लिए जारी की गई राशि (ला. सं.)	पथ की स्वीकृति के लिए जारी की गई राशि (ला. सं.)	पथ की स्वीकृति के लिए जारी की गई राशि (ला. सं.)	पथ की स्वीकृति के लिए जारी की गई राशि (ला. सं.)	पथ की स्वीकृति के लिए जारी की गई राशि (ला. सं.)	वर्तमान अचियावित राशि					कुल अचियावित राशि (ला. सं.)
			पथ की स्वीकृति के लिए जारी की गई राशि (ला. सं.)	पथ की स्वीकृति के लिए जारी की गई राशि (ला. सं.)	पथ की स्वीकृति के लिए जारी की गई राशि (ला. सं.)	पथ की स्वीकृति के लिए जारी की गई राशि (ला. सं.)	पथ की स्वीकृति के लिए जारी की गई राशि (ला. सं.)		पथ की स्वीकृति के लिए जारी की गई राशि (ला. सं.)	पथ की स्वीकृति के लिए जारी की गई राशि (ला. सं.)	पथ की स्वीकृति के लिए जारी की गई राशि (ला. सं.)	पथ की स्वीकृति के लिए जारी की गई राशि (ला. सं.)	पथ की स्वीकृति के लिए जारी की गई राशि (ला. सं.)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25
1	Kharagpur-Tarapur	NMGSS Pahadpur path to Bhaikol path nirman kary	1.02449	1.24373	2.30809	2.72413	3.23176	10.53220	0.00000	0.00000	2.29834	2.46348	0.00000	4.76182	151.99 Lacs Lt. No. 1779 dt. 29.05.2018	10.60000	1779 dt. 29.05.2018	09.09.2019	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	3.20762	3.20762	3.20762

1. कार्य विवरणों के अनुसार कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

2. पथ में MQMU/PQM/IE से संबंधित कोई सुधार प्रतिवेदन लिखित नहीं है।

3. अनुमोदित परमाणु चित्र की कुल राशि प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से 20% सीमा के भीतर है साथ ही अनुमोदित परमाणु के मदों की मात्रा का विस्तार का अनुमोदित परमाणु स्वीकृति का पत्र अनुमोदित परमाणु विवरण एवं एकराशनाम की अभिलेखित प्रति।

4. अनुमोदित - प्रशासनिक स्वीकृति का पत्र अनुमोदित परमाणु विवरण एवं एकराशनाम की अभिलेखित प्रति।

28/11/24

28/11/24
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमदल खडगपुर-तारापुर

EXECUTIVE ENGINEER, RURAL WORKS DEPARTMENT, WORKS DIVISION,
Munger

FROM GFR 19 - A

(See Government of India's Decision (I) below Rule - 150)
Form of Utilisation Certificate upto the month of OCT- 2024

Name of the Head :- NABARD Maint. Fund

Month:- NOV 2024

Sl. No.	Name of Bridge	Sanctioned No./ Date	Amount Received (in Lacs Rs.)	Particulars
1	2	4	5	6
1	MMGSY Pahadpur path to Bhaisakol path nirman kary	Lt. No. 1779 dt. 29.05.2018	4.76182	Certified that out of Rs. 4.76182 Lacs received during the Maintenance of this road favour of Executive Engineer R.W.D. Works Division, Kharagpur-Tarapur, Bihar a sum of Rs 4.76182 Lacs has been utilized for the purpose of NABARD Maint. Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs 0.00000 Lacs remaining un-utilized at the end of the period under.
	Total -		4.76182	

- 2 Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was Sanctioned.

Kind of Checks Exercised :-

- Works have been supervised by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- Construction materials have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test checks conducted by the Assistant Engineer/
Executive Engineer.
- All other codal formalities have been observed.

- 3 **Physical Progress achieved :-**

- Construction of Road Works.
- Construction of CD. Works.


28/11/24
Divisional Account Officer

RWD Works Division Kharagpur - Tarapur


28/11/24
Executive Engineer

RWD Works Division, Kharagpur-Tarapur

67800

**बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग**

क्र.सं-मु. ५०-४ (मु०)-नाबार्ड-०३-११८/२०१८

१७७९

/पटना, दिनांक-२९/५/१८

देख,

संजय कुमार, गजप्रदेश
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:- योजना शीर्ष ४५१५-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-१०३-ग्राम विकास-राज्य योजना-०१०५-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के मुंगेर जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, खड़गपुर-तारापुर के अधीन खड़गपुर प्रखंड के अधीन एम०एम०जी०एस०वाई० पहाडपुर पथ से भैसाकोल पथ निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई २.२५० कि०मी० निर्माण हेतु रु० १४१.३९ लाख एवं अनुरक्षण की राशि रु० १०.६० लाख अर्थात् कुल १५१.९९ लाख रुपये (एक करोड़ इक्यावन लाख निन्यानवे हजार रुपये) की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष ४५१५-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-१०३-ग्राम विकास-राज्य योजना-उप शीर्ष-०१०५-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उप शीर्ष के अन्तर्गत राज्य मुंगेर जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, खड़गपुर-तारापुर के अधीन खड़गपुर प्रखंड के अधीन एम०एम०जी०एस०वाई० पहाडपुर पथ से भैसाकोल पथ निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई २.२५० कि०मी० निर्माण हेतु रु० १४१.३९ लाख एवं अनुरक्षण की राशि रु० १०.६० लाख अर्थात् कुल १५१.९९ लाख रुपये (एक करोड़ इक्यावन लाख निन्यानवे हजार रुपये) की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

१. इस योजना को दो वित्तीय वर्ष २०१८-१९ एवं २०१९-२० में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
२. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खड़गपुर-तारापुर द्वारा इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
३. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
४. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष ४५१५-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-१०३-ग्राम विकास-राज्य योजना-०१०५-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड ३७-४५१५००१०३०१०५ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
५. योजना शीर्ष ४५१५-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-१०३-ग्राम विकास-राज्य योजना-०१०५-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में ४५९.३१ करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
६. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खड़गपुर-तारापुर द्वारा योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के १० तारीख तक निश्चित रूप से कमशः अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मुंगेर एवं मुख्य अभियंता-२, के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जाये।
७. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खड़गपुर-तारापुर यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।

Executive Engineer

8. इस योजना का चयन मा० मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, द्वारा संचिका संख्या- मु० अ०-4 (मु०)-नाबार्ड-03-118/2018 के पृ० सं०-03/टि० पर दिनांक 16.04.2018 को किया गया है।
9. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं०- मु० अ०-4 (मु०) नाबार्ड-03-118/2018 के पृ० सं०-05/टि० पर दिनांक-07.05.2018 को प्राप्त है।
10. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत ही राशि की निकासी की जाय।
11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-4-45/94-301 वि (2) दिनांक 31.01.1995 एवं वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (8)-11-2005-5090 वि (2) दिनांक 15.09.05 एवं 295 दिनांक 24.03.15 के आलोक में तथा वित्त विभाग के संकल्प सं० 96 दिनांक 03.01.2008 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय। यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०- मु० अ०-4 (मु०) नाबार्ड-03-118/2018 के पृष्ठ संख्या-09/टि० पर दिनांक-26.05.18 को प्राप्त है।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य में नहीं।
13. योजना के लिए कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल खड़गपुर-तारापुर से विस्तृत कार्य योजना मांगी जायेगी एवं प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
14. योजना के कार्यान्वयन के कम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अंतराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध किया जाय।
15. वित्त विभाग के पत्रांक-770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि नाबार्ड से RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाये।

ज्ञापांक- मु० अ०-4 (मु०)-नाबार्ड-03-118/2018 1779
प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वनाथजीवन
(संजय कुमार)
अपर सचिव

/पटना, दिनांक-29/5/18

ज्ञापांक मु० अ०-4 (मु०)-नाबार्ड-03-118/2018 1779

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/उप विकास आयुक्त, मुंगेर/अभियंता प्रमुख सह-सचिव, BRRDA, ग्रा० का० वि०, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता-2, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/मु० अ०-4 (मुख्यालय), ग्रा० का० वि०/अधीक्षण अभियंता, ग्रा० का० वि०, कार्य अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, ग्रा० का० वि० कार्य प्रमंडल, खड़गपुर-तारापुर/मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, (मौर्या कम्पलेक्स, पॉचवी मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई० टी० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

Executive Engineer
R.W.D., Works Division
Taraori, Munger

SHAMBHAVI TECHNO SOLUTIONS PVT. LTD.